न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/321

1. नसीम खानम पत्नी स्व. इसरार अहमद
2. इरसाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
3. मुराद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
4. दिलशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
5. गुमशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
6. इमदाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
7. नौशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
8. गुलशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद जाति मुसलमान निवासीगण सी–3 वक्फ नगर कोटा(राज.)
9. शाहिदा खानम पुत्री इसरार अहमद पत्नी फिरोज खान जाति मुसलमान निवासी 8–डी–51 विज्ञान नगर कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. मोहम्मद अहमद आत्मज शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किशोरपुरा पार्क के पास, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री हुकुमचन्द जैन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 18.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 115/2019 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि इसरार अहमद निवासी किशोरपुरा, कोटा को ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 244 की 6 बीघा 4 बिस्वा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दिनांक 17.06.1962 को आवंटित हुई थी तथा जिसका गैर खातेदारी का पट्टा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 22.01.65 को जारी किया गया। सेटलमेन्ट उपरान्त वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टर दर्ज कर बिना किसी आधार के सिवायचक दर्ज कर दिया, जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। वादीगण, सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इसरार अहमद का देहान्त हो चुका है और वादी ही उनका वैध वारिस है इसलिये उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। वक्त आवंटन से ही श्री इसरार अहमद वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टर को वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2017 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेड़ा जगपुरा की आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टेयर में से 0.99 हैक्टेयर को सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति के अनुसार वादी की गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 अपीलांटगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुतत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 18.09.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए तथा इसरार अहमद के विधिक वारिसान की जांच करवाने के उपरांत नये सिरे से निर्णय पारित किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण अपीलांटगण की ओर से कांउटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रतिवादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम खेड़ा जगपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 251 की सम्पूर्ण आराजी रकबा 1.05 हैक्टेयर को नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज किए जाने तथा तदनुसार डिक्री जारी किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 की प्रार्थीगण अपीलांटगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, प्रार्थीगण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.11.2024 को वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई, जिस पर तत्काल नकल निर्णय एवं डिक्री के लिये दिनांक 20.11.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 28.11.2024 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, वह प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर नहीं की गई है। जो एक सद्भाविक त्रुटि है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2024 से जानकारी की तिथी दिनांक 17.11.2024 तक की अवधिक को न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण का काउंटर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित किया जा चुका था कि अपीलांटगण की आवंटी इसरार

अहमद के विधिक वारिसान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आप को इसरार अहमद का पुत्र होना बताकर तहसील के कर्मचारियों से मिलिभगत करके खसरा गिरदावरियों में इसरार अहमद के पुत्र के रूप में नाम लिखवा लिया, जबकि विवादित आराजी पर अपीलांटगण ही काबिज है। अपीलांटगण द्वारा उनके पिता इसरार अहमद के नाम दर्ज गैर खातेदारी की आराजी जो कि सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दी गई थी, जिसको पुनः अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज करने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया गया था। उक्त दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को सुधारकर पुनः अपीलांटगण की गैर खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। अपीलांटगण द्वारा अपने काउंटर क्लेम में अंकित तथ्यों को पूर्णतया साबित किया जा चुका था, जिन्हें दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण का काउंटर क्लेम खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा कब्जे बाबत कोई सहायत नहीं चाही गई थी, साथ ही कब्जे बाबत भी गिरदावरियॉ पेश कर रखी थी, उसके बावजूद भी अपीलांटगण का कांउटर क्लेम खारिज कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम एवं प्रश्नगत अपील में अपीलांटगण प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेड़ा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है उक्त विवादित आराजी

उनके पिता व पति इसरार अहमद पुत्र छोटे खां की आवंटनशुदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–1 आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1962 संलग्न है जिसके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी इसरार अहमद पुत्र छोटे खां को ग्राम खेड़ा रसूलपुर की खसरा संख्या 244 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित होने का आदेश अंकित है। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–2 नकल आंवटन रजिस्टर सन् 1962 में एडवाईजरी कमेंटी द्वारा दिनांक 17.06.1962 को इसरार अहमद वल्द छोटे खां ग्राम खेड़ा रसूलपुर को खसरा नम्बर 244 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित किए जाने का उल्लेख है जिसका अंकन आवंटन रजिस्टर की कम संख्या 128 पर अंकित है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 244 मी., 243 व 300 के नवीन खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टेयर बने होना अंकित है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता व पति इसरार अहमद वल्द छोटे खां को आवंटित होना प्रकट होता है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन तिथि से ही अपीलांटगण के पिता इसरार अहमद एवं उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपीलांटगण निरन्तर काबिज काश्त है। अपीलांटगण ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं के कब्जा काश्त होने के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2027, सम्वत् 2060, 2061, 2062 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ पेश की है। विवादित भूमि अपीलांटगण के पिता इसरार खां को सन् 1962 अर्थात सम्वत् 2019 में आवंटित हुई है परन्तु अपीलांटगण के केवल सम्वत् 2024 से 2027 तथा 2060 से 2061 की ही खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की है। शेष वर्षों की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त होने का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। अपीलांटगण द्वारा निरन्तर कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन इसरार अहमद पुत्र छोटे खां को जारी नोटिस दिनांक 07.04.1999, 28.02.1999, 30.08.2002, 26.03.2002, 07.05.2001,14.02.2001, 15.10.2001, 13.04.2005 की प्रतियॉ संलग्न है। उक्त सम्मन नोटिस वादग्रस्त आराजी से बेदखल किए जाने हेतु जारी किया जाना अंकित है। उक्त नोटिस के अवलोकन से अपीलांटगण का तथाकथित कब्जा अतिकमी की हैसियत का होना प्रकट होता है। अपीलांटगण के विरूद्ध समय–समय पर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा अपीलांट को बेदखल किया गया है। अतः अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम खेड़ा जगपुरा तहसील लाडपुरा

की खाता संख्या 1 मे दर्ज राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का वास्तविक मालिक एवं स्वामि अपीलांट नहीं होकर राज्य सरकार है तथा रेस्पोडेन्ट राज्य सरकार द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता रहा है तथा अपीलांट से समय समय पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर जुमाना राशि वसूली की जाती रही है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को निरन्तर कब्जा काश्त होने का कथन किया है परन्तु अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित करने में असफल रहे है। आवंटन शर्तों के अनुसार किसी आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान का निरन्तर काबिज काश्त होना आवश्यक है तथा निरन्तर काबिज काश्त नहीं होने की स्थिति में कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। हमारे मत में अपीलांटगण प्रश्नगत वाद एवं अपील में अंकित वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के निरन्तर कब्जे काश्त होने के कथन को प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2024 में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम को दस्तावेजी सांक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होना मानकर खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 115/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024 / 321

1. नसीम खानम पत्नी स्व. इसरार अहमद
2. इरसाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
3. मुराद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
4. दिलशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
5. गुमशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
6. इमदाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
7. नौशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
8. गुलशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद जाति मुसलमान निवासीगण सी–3 वक्फ नगर कोटा(राज.)
9. शाहिदा खानम पुत्री इसरार अहमद पत्नी फिरोज खान जाति मुसलमान निवासी 8–डी–51 विज्ञान नगर कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. मोहम्मद अहमद आत्मज शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किशोरपुरा पार्क के पास, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्या: 115 / 2019

मोहम्मद अहमद आत्मज शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किशोरपुरा पार्क के पास, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. नसीम खानम पत्नी स्व. इसरार अहमद

3. इरसाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
4. मुराद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
5. दिलशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
6. गुमशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
7. इमदाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
8. नौशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद
9. गुलशाद अहमद आत्मज स्व. इसरार अहमद जाति मुसलमान निवासीगण सी–3 वक्फ नगर कोटा(राज.)
10. शाहिदा खानम पुत्री इसरार अहमद पत्नी फिरोज खान जाति मुसलमान निवासी 8–डी–51 विज्ञान नगर कोटा राज0

––प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 115/2019 में न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 18.06.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री हुकुमचन्द जैन के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 115/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 बहाल रखी जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 18.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा